न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील संख्या 01/2014

श्री लीलाराम रेगर पुत्र श्री अर्जुनराम जाति रेगर निवासी रेगरों का मौहल्ला ग्राम नौसल तहसील रूपनगढ जिला अजमेर । .....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर। .....रेसपोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः— 1. श्री उत्तम गुरूबक्षानी अभिभाषक अपीलान्ट
1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 07.12..2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी 15 वर्षो से उचित मूल्य दुकान ग्राम नौसल तहसील किशनगढ का संचालन कर रहा था। तत्कालीन जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्राप्त शिकायतो के आधार प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 06.08.2014 से अपीलकर्ता को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों. की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी 15 वर्षो से उचित मूल्य दुकान ग्राम नोसल तहसील किशनगढ का संचालन कर रहा था। अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण ग्राम नोसल के सरपंच द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त करवाकर अपने रिश्तेदार को दिलवाने के प्रयास के तहत अपीलार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी अजमेर को बार–बार झूठी शिकायते प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 31.8.2006 से अपीलान्ट का प्राधिकार तत्समय निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सं0 03/06 न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 19.01.2007 से स्वीकार कर कर जिला रसद अधिकारी अजमेर का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल रखने के आदेश पारित किये गये। इस आदेश की पालना में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया। अपीलान्ट अपने दुकान के उपभोक्ताओं को समय पर रसद सामग्री का वितरण कर अपने परिवार का जीवन यापन करता रहा। वर्ष 2011 में गॉव के सरपंच द्वारा पुनः अपीलकर्ता की झूठी शिकायतें कराई गई। इन झूठी शिकायतों पर जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

07/12/16

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विभागीय प्रकरण सं0 8/11 व 9/11 दर्ज कर नोटिस जारी करने पर अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा बाद सुनवाई आदेश दिनांक 3.05.2011 में यह स्पष्ट किया गया कि शिकायतकर्ता रणजीतसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत नोसल पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि पूर्व में भी उनके द्वारा अपनी जाति के किसी व्यक्ति को राशन की दुकान दिलाने के लिए लीलाराम की शिकायत की गई जिसके आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जो जिला कलक्टर अजमेर के आदेश पर बहाल किया गया। श्री रणजीतसिंह, सरपंच ग्राम पंचायत नोसल द्वारा हमें व्यक्तिगत रूप से लीलाराम का प्राधिकार पत्र निरस्त करवाने हेतु कहा गया। जिला रसद अधिकारी के इस निर्णय दिनांक 03.5.2011 के विरूद्ध श्री रणजीतसिंह द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर में अपील भी प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 23.12.2011 द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में निरस्त की गई। शिकायतकर्ता रणजीतसिंह की इच्छा पूर्ण नहीं होने कारण उनके द्वारा अपीलान्ट को परेशान करने एवं उचित मूल्य दुकान का संचालन अपीलान्ट को नहीं करने देने की ठानते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध झूठी शिकायते दर्ज करवाते हुए फौजदारी प्रकरंण भी दर्ज करवाया गया। तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा राजनैतिक दवाब में अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर मात्र पुलिस द्वारा गिरफतार करने व जेल जाने के आधार पर प्राधिकार पत्र आक्षेपित आदेश दिनांक 6.08.2014 से निरस्त किया गया है। चूंकि विभागीय जांच में कोई अनियमितताएँ नहीं पाई गई है तथा फौजदारी प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध अब तक charge भी Frame नहीं हुए है। अतः अपीलान्ट के विरूद्ध राजनैतिक दवाब के तहत जिला रसद अध्किारी, अजमेर द्वारा बिना किसी पुख्ता आधार के पारित आक्षेपित आदेश जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से अवैध, शून्य एवं प्रभावहीन होने से अपास्त करार दिया जाकर अपील, अपीलान्ट स्वीकार करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 6.08.2013 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावे।

जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी अजमेर को अपीलान्ट के विरूद्ध बार–बार घोटाला करने, उपभोक्ताओं के साथ अभद्रता करने, गाली गलौच करने एवं परेशान करने कारण समस्त ग्रामवासियों द्वारा राशन डीलर का बहिष्कार कर जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करने की मांग की शिकायत प्रस्तुत की गई। प्राप्त शिकायत की जांच करवाई गई। उपखण्ड अधिकारी की प्राप्त जांच रिपोर्ट में शिकायत की पुष्टि होने एवं अपीलान्ट के विरूद्ध ग्रामवासियों द्वारा दायर फौजदारी मुकदमा में बाद पुलिस तफतीश के न्यायालय में चालान पेश किया जा चूका है। पुलिस तफतीश में भी आरोप सिद्ध पाये गये है। अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार नोटिस जारी कर वास्ते जवाब सुनवाई का प्रर्यात अवसर प्रदान कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अपीलाथी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की प्रदत की शर्त संख्या 2 व 5 का उल्लघन किये जाने पर आक्षेपित आदेश से अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि 1000/– (एक हजार) जब्त सरकार की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत, विधि अनुरूप एवं अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे।

07/11/16

जिला कलक्टर
अजमेर

अधिकारी अजमेर द्वारा

Scanned by CamScanner

हमने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के विरूद्ध समस्त ग्रामवासियो की प्राप्त शिकायत एवं बहिष्कार किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की प्रदत की शर्त संख्या 2 व 5 का उल्लघन पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश से अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें कोई हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2013 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

07/12/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner